सूचना

स्कूल शिक्षा विभाग छ. ग. शासन द्वारा अशासकीय विद्यालय हेतु छत्तीसगढ़ फीस विनियम अधिनियम 2020 बनाने का निर्णय लिया गया है | तत्संबध में फीस विनिमय हेतु सर्व साधारण से सुझाव विभाग के ई-मेल **dpifee2020@gmail.com** में दिनांक 15.05.2020 शाम 03 बजे तक आमंत्रित किया जाता है| छत्तीसगढ़ फीस विनियम अधिनियम 2020 का प्रारंभिक प्रारूप विभाग के पोर्टल **http://www.eduportal.cg.nic.in/** में देखा जा सकता है |

छत्तीसगढ़ फीस विनियमन अधिनियम 2020

अध्याय -1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ -**
   1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 है.
   2. यह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर प्रभावी होगा.
   3. यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.
2. **परिभाषायें – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षितन हो -**
   1. 'अशासकीय विद्यालय' से अभिप्रेत है, ऐसा विद्यालय जिसका प्रबंधन छत्तीगसढ़ सरकार अथवा भारत सरकार व्दारा न किया जाता हो और जो अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति के लिये छत्तीगसढ़ सरकार, भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम से सहायता या अनुदान प्राप्त न करता हो,
   2. 'अधिसूचना' से अभिप्रेत है, छत्तीगसढ़ के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना,
   3. 'विहित' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित,
   4. 'जिला शिक्षा अधिकारी' से अभिप्रेत है, छत्तीगसढ़ सरकार व्दारा जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में पदाभिहित कोई भी अधिकारी,
   5. ''संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण' से अभिप्रेत है, छत्तीगढ़ सरकार व्दारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के रूप में पदाभिहित कोई भी अधिकारी,
   6. 'कलेक्टर से अभिप्रेत है, छत्तीगसढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत कलेक्टर,
   7. 'आयुक्त' से अभिप्रेत है, छत्तीगसढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत संभागीय आयुक्त,
   8. 'अभिभावक' से अभिप्रेत है, किसी बच्चे की माता, पिता अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जो उस बच्चे की देखभाल के लिये विधिक रूप से प्राधिकृत हो,

9. 'अभिभावक संघ' से अभिप्रेत है, किसी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का ऐसा संगठन जिसमें विद्यालय में पढ़ने वाले कम से कम 10 प्रतिशत बच्चों के अभिभावक सदस्य हों,
10. 'जिला फीस विनियामक समिति' से अभिप्रेत है, धारा (3)के अधीन गठित समिति,
11. 'संभागीय फीस विनियामक समिति' से अभिप्रेत है, धारा (4) के अधीन गठित समिति,
12. 'राज्य फीस विनियामक समिति' से अभिप्रेत है धारा (5) के अधीन गठित समिति,
13. 'विद्यालय स्तरीय फीस नियमन समिति' से अभिप्रेत है, धारा (6) के अधीन गठित समिति
14. 'फीस' से अभिप्रेत है, विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों से लिया जाने वाला कोई भी शुल्क चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो,

अध्याय -2

फीस नियमन समितियां

3. जिला फीस विनियामक समिति – समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा -

(क)	कलेक्टर	-	अध्यक्ष
(ख)	कलेक्टर व्दारा नामांकित एक लेखाधिकारी	-	सदस्य
(ग)	कलेक्टर व्दारा नामांकित एक शिक्षाविद्	-	सदस्य
(ध)	कलेक्टर व्दारा नामांकित एक कानूनविद्	-	सदस्य
(च)	जिला शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य सचिव

4. संभागीय फीस विनियामक समिति – समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा:

(क) आयुक्त - अध्यक्ष

(ख) आयुक्त व्दारा नामांकित एक लेखाधिकारी - सदस्य

(ग) आयुक्त व्दारा नामांकित एक शिक्षाविद् - सदस्य

(ध) आयुक्त व्दारा नामांकित एक कानूनविद् - सदस्य

(च) संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण - सदस्यसचिव

5. राज्य फीस विनियामक समिति - समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा:

(क) मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग - अध्यक्ष

(ख) आयुक्त/संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़ - सदस्य

(ग) वित्त नियंत्रक/संयुक्त संचालक वित्त संचालनालय लोक शिक्षण छत्तीगसढ़ - सदस्य

(ध) प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव स्कूल शिक्षा - सदस्य सचिव

6. विद्यालय स्तरीय फीस नियमन समिति – समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा:

(क) विद्यालय मेनेजमेंट समिति का प्रमुख - अध्यक्ष

(ख) कलेक्टर व्दारा नामांकित नोडल अधिकारी - सदस्य

(ग) कलेक्टर व्दारा नामांकित प्रत्येक कक्षा से दो अभिभावक- सदस्य

(ध) संबंधित अशासकीय विद्यालय का प्राचार्य - सदस्यसचिव

7. **समितियों** में नामांकित शिक्षाविद एवं कानूनविद का **कार्यकाल - धारा (3) एवं धारा (4)** के अंतर्गत **गठित समितियों** में **नामांकित शिक्षाविद एवं कानूनविद का कार्यकाल** सामान्य रूप से **दो वर्ष का होगा,** परन्तु नमांकनकर्ता व्दारा उन्हें कभी भी बिना कारण बताए कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी हटाया जा सकेगा.
8. इस अधिनियम के अंतर्गत गठित किसी भी समिति के सदस्यों को समिति में कार्य करने हेतु किसी प्रकार के वेतन अथवा भत्तों की पात्रता नहीं होगी.
9. **समितियों के कार्य संचालन की प्रक्रिया** - इस अधिनियम के प्रावधानों तथा धारा ( ) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियां अपने कार्यसंचालन की प्रक्रिया का निर्धारण कर सकेंगी.

अध्याय -3

विद्यालय शुल्क का निर्धारण

10. अशासकीय विद्यालयों में फीस का विनियमन -

1. इस अधिनियम के प्रभावशील होने के 1 माह के भीतर समस्त अशासकीय विद्यालयों का प्रबंधन विद्यालय व्दारा वर्तमान में ली जाने वाली फीस के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव धारा (6) के अंर्तगत गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा और यह समिति इस प्रस्ताव पर अपना निर्णय एक माह के भीतर करेगी,
2. एक बार सक्षम समिति व्दारा फीस का अनुमोदन हो जाने के पश्चात् यदि अशासकीय विद्यालय का प्रबंधन फीस बढ़ाना चाहे तो उसे फीस बढ़ाने का प्रस्ताव शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से कम से कम छःमाह पूर्व सुसंगत अभिलेख सहित धारा (6) के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा,
3. अभिभावक संघ फीस निर्धारण के संबंध में अभ्यावेदन धारा (6) के अंतर्गत बनी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे और यह समिति फीस निर्धारण करते समय ऐसे अभ्यावेदनों पर भी विचार करेगी,

4. इस अधिनियिम के अंर्तगत बनी समितियां फीस निर्धारण के प्रयोजन से संबंधित विद्यालय से लेखा एवं अन्य अभिलेख मंगा सकेंगी,
5. इस अधिनियिम के अंर्तगत बनी समितियां फीस निर्धारण के प्रयोजन से विद्यालय प्रबंधन एवं पालकों की सुनवाई भी कर सकेंगी,
6. इस अधिनियम के अंतर्गत बनी समितियों को लेखा तथा अभिलेख मंगाने तथा सुनवाई लिये व्यक्त्यिों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी,
7. धारा (6) के अंतर्गत गठित समिति फीस अशासकीय विद्यालय के प्रबंधन के प्रस्ताव तथा अभिभावक संघों के अभ्यावेदनों पर विचार करके एवं विद्यालय के लेखे एवं अभिलेखों के साथ-साथ विद्यालय के व्दारा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का परीक्षण करके विद्यालय की फीस का निर्धारण करेगी।
8. यदि धारा (6) के अंतर्गत गठित समिति व्दारा विद्यालय की फीस में 5 प्रतिशत तक की वृध्दि की जाती है तो फीस का निर्धारण समिति अपने स्तर पर कर सकेगी परन्तु यदि धारा (6) के अंर्तगत गठित समिति की राय में फीस में 5 प्रतिशत से अधिक वृध्दि की जाना आवश्यक हो तो वह अपनी अनुशंसा के साथ पूर्ण प्रस्ताव धारा (3) के अंतर्गत गठित समिति को अग्रेषित करेगी,
9. धारा (3) के अंतर्गत गठित समिति फीस में 5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 10 प्रतिशत से कम वृध्दि का प्रस्ताव अनुमोदित कर सकेगी परन्तु यदि समिति फीस में 10 प्रतिशत से अधिक वृध्दि की जाना आवश्यक समझती है तो वह अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्ताव धारा (4) के अंतर्गत गठित समिति को अग्रेषित कर सकेगी,
10. अशासकीय विद्यालयों का प्रबंधन इस अधिनियम में गठित सक्षम समिति व्दारा निर्धारित की गई फीस से अधिक फीस नहीं लेगा,

अध्याय -4

नियम बनाने की शक्ति

11. छत्तीसगढ़ सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.
12. पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, छत्तीसगढ़ सरकार निम्नलिखित के लिये नियम बना सकेगी –
    1. इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियों में सदस्यों के नामांकन एवं हटाए जाने हेतु,
    2. इस अधिनियम के अंर्तगत गठित समितियों के कार्य संचालन की प्रक्रिया एवं उनके व्दारा रखे जाने वाले अभिलेख,
    3. अशासकीय विद्यालय प्रबंधन व्दारा फीस निर्धारण के लिये समिति को दिये जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप,
    4. अशासकीय विद्यालयों व्दारा फीस के संबंध में संधारित किए जाने वाले अभिलेख,

अध्याय -4

लेखाओं का विनियमन और अभिलेखों का संधारण

13. लेखाओं का विनियमन – अशासकीय विद्यालय अभिलेखों का संधारण ऐसी रीति से करेंगे जो इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों व्दारा विहित की जाये.

अध्याय -5

शास्तियां

14. अशासकीय विद्यालय प्रबंधन के सभी सदस्य वैयक्तिक तथा संयुक्त रूप से इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिये जिम्मेदार होंगे,

15. यदि विद्यालय प्रबंधन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबंध का उल्लंधन करता है, तो विद्यालय प्रबंधन के प्रत्येक सदस्य पर अभियोजन चलाया जा सकेगा और दोष सिद्ध होने पर:

    1. प्रथम अपराध पर पचास हजार रूपये या इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित फीस के आधिक्य में ली गई रकम का दोगुना, जो भी अधिक हो, के जुर्माने से दण्डनीय होगा,
    2. पश्चावर्ती अपराध पर एक लाख रूपये या इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित फीस के आधिक्य में ली गई रकम का चार गुना, जो भी अधिक हो, से दण्डनीय होगा,

अध्याय -6

अपील

16. धारा (6) के अंतर्गत गठित समिति के निर्णय के विरुध्द विद्यालय प्रबंधन अथवा अभिभावक संघों व्दारा निर्णय संसूचित होने के 15 दिवस के भीतर प्रथम अपील धारा (3) के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष की जा सकेगी,

17. धारा (3) के अंतर्गत गठित समिति के निर्णय के विरूद्ध व्दितीय अपील धारा धार (4) के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष निर्णय संसूचित होने के 30 दिवस के भीतर की विद्यालय प्रबंधन अथवा अभिभवक संघो व्दारा की जा सकेगी,

अध्याय -7

राज्य समिति के कार्य

18. धारा (5) के अंतर्गत गठित राज्यस्तरीय समिति अशासकीय विद्यालयों व्दारा ली जाने वाली फीस के संबंध में नीति निर्धारण कर सकेगी और इस अन्य समितियां इस प्रकार निर्धारित नीति के अनुरूप फीस का निर्धारण करेंगी,

19. **निर्देश जारी करने की शक्ति :** धारा (5) के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति अन्य समितियों के लिये सामान्य निर्देश जारी कर सकेगी जो इन समितियों पर बंधनकारी होंगे,

अध्याय -8

राज्य सरकार की शक्तियां

20. **कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति :** यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो छत्तीसगढ़ सरकार अधिनियम लागू होने के दो वर्ष के भीतर, अधिनियम के उपबंधों को स्पष्ट करने के लिये ऐसा आदेश जारी कर सकेगी जो अधिनियम के उपबंधों को स्पष्ट कर सकेगी अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई के निराकरण के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो,

21. **अधिनियम का किसी अन्य अधिनियम के अतिरिक्त होना और अल्पीकरण में नहीं होना** - इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उस के अल्पीकरण में नहीं होंगे.